

डिक्री मुल वाद मे अन्तिम डिक्री बमुकदमे ईश्टदाई
अ. आ. 20 नि. 6-7 व्या. प्रकिया संहिता
न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
प्रकरण स. 439/2025

1. मनिला सिवल पुत्री श्री सुभाष पत्नी श्री सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड स. 1 भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज) हाल आबाद ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज. -वादीया बनाम

1. सुभाष पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज) 2 तनवी विवेक ठाकुर पुत्री श्री सुभाष पत्नी श्री विवेकहिममत सिंह ठाकुर जाति जाट निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज. हाल आबाद कामटी सिटी तहसील कामटी सिटी जिला नागपुर महाराष्ट्र 3 विमला पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज) 4 तहसीलदार राजस्व संगरिया - प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88,53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल कुमार चोयल वकील वादीया मिन जामिन मुदई व श्री शिवशंकर वकील प्रतिवादी स. 1ता3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है एवं घोषित किया जाता है कि:-

वादीया मनिला सिवल चक 6 डीएलपी तहसील संगरिया खाता सं. 84/78 प.न. 136/192 मु.न. 20 कि.न. 2/1/228है.,2/2/025है. गै.मु. 9,11,12,22, 23/253है.प्र. प.न. 136/193 मु.न. 37 कि.न. 2,3/253है.प्र. कुल 2.024है. मय गै.मु कृषि भूमि प्रतिवादी स.1 सुभाष चक 6 डीएलपी तहसील संगरिया खाता सं. 84/78 प.न. 135/192 मु.न. 19 कि.न. 17,24/253है.प्र., प.न. 136/193 मु.न. 37 कि.न. 1,10/253है.प्र. प.न. 135/193 मु.न. 38 कि.न. 4/2/228है.,4/2/025है.गै.मु. खाला कुल 1.265है. मय गै.मु कृषि भूमि प्रतिवादी स. 2 तनवी विवेक ठाकुर चक 6 डीएलपी तहसील संगरिया खाता सं. 84/78 प.न. 135/192 मु.न. 19 कि.न. 6/1/228है.,6/2/025है.,गै.मु. खाला 15/1/228है.,15/2/025है.,गै.मु. खाला 16/1/228है.,16/2/025है.,गै. मु. खाला 25/1/228है.,25/2/025है.,गै.मु. खाला प.न. 135/191 मु.न. 14 कि.न. 24/253है.,25/1/228है. प.न. 135/193 मु.न. 38 कि.न. 5/1/228है.,5/2/025है.गै.मु. खाला 6/253है. कुल 1.999है. मय गै.मु कृषि भूमि इसके अलावा प्रतिवादी स. 3 विमला देवी को इसी चक 6 डीएलपी के खाता स. 84/78 मे प्रतिवादी स. 1 से प.न. 136/191 मु.न. 13 कि.न. 21/253है. प.न. 135/192 मु.न. 19 कि.न. 5/1/202है., 5/2/026है. गै.मु. खाला 5/3/025है. गै.मु. रास्ता प.न. 136/192 मु.न. 20 कि.न. 1/1/228है., 1/2/025है. गै.मु. रास्ता 3/2/025है. गै.मु. रास्ता 10/253है., 19,20,21/253है.प्र., प.न. 135/193 मु.न. 38 कि.न. 7/253है., कुल 2.024है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार रकमराज अलग से कायम की जावे एवं प्रतिवादी स. 1 का उक्तानुसार नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादीया/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। निज...~~X~~... निल...~~X~~... मुब्लिक...~~X~~... निल...~~X~~... बाबत...~~X~~... निल...~~X~~... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयाबी तक ...~~X~~... को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7.10.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया
 संगरिया